संख्या– 1837 /भा.विवि/कुसका/2024 दिनांक : 21 दिसम्बर, 2024

36वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को प्रातः 11:30 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में आहूत कार्यपरिषद् की 36वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त–बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
4.	प्रो0 सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
6.	प्रो0 सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
7.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी विभाग, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
8.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
10.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग	सदस्य
12.	डॉ0 बुशरा अलवेरा, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
13.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
14.	डॉ0 भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक	विशिष्ट आमंत्री
15.	डॉ0 महेश कुमार, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया:–

बिन्दु संख्या–36.1 :

कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2024 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

1/–

बिन्दु संख्या–36.2 :

कार्य परिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी। तद्पोरान्त कार्य परिषद् द्वारा बिन्दु संख्या–35.3 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर एक सप्ताह तथा बिन्दु संख्या–35.4 पर एक माह के भीतर कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश कुलसचिव को दिये गये।

बिन्दु संख्या–36.3 :

डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, पूर्व सहायक आचार्य (संविदा) के सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष के ई–मेल दिनांक 16 दिसम्बर 2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जांच पूर्ण किये जाने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, पूर्व सहायक आचार्य (संविदा) के सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष के ई–मेल दिनांक 16 दिसम्बर 2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जांच पूर्ण किये जाने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–36.4 :

डॉ0 तनु डंग, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को दिनांक 15–05–2024 से 14–05–2026 तक प्रदान किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–685/भा.विवि/कुसका/2024/139/13 दिनांक 14 मई 2024 के अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 तनु डंग, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को दिनांक 15–05–2024 से 14–05–2026 तक प्रदान किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–685/भा.विवि/कुसका/2024/139/13 दिनांक 14 मई 2024 पर सर्वसम्मिति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–36.5 :

विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3/–

बिन्दु संख्या–36.6 :

वित्त समिति की 29वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 29वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–36.7 :

माननीय कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ के आदेश संख्या ई–9280/जी0एस0 दिनांक 12 दिसम्बर 2024 से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद को सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अन्तर्गत डॉ0 हुमा मुस्तफा का चयन सूची में नाम अंकित था, किन्तु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण प्रतीक्षा सूची से डॉ0 ममता शुक्ला का स्ववितत्पोषित योजनान्तर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी विभाग, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में सह आचार्य (संविदा) के पद पर कार्य परिषद् के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति की गयी।

विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में हुई नियमित एवं संविदा शिक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में राजभवन को प्रेषित विभिन्न शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जॉच हेतु गठित समिति द्वारा संविदा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता आदि का परीक्षण न किये जाने के क्रम में दिनांक 02.01.2022 को सम्पन्न कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक में विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों में चयनित संविदा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जॉच यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 में उल्लिखित मानकों के सापेक्ष कराने हेतु त्रिसदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया। जॉच समिति द्वारा सन्दर्भित जॉच कर दिनांक 20.12.2022 को अपनी प्रारम्भिक जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसको विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 में प्रस्तुत किया गया। प्रारम्भिक जॉच आख्या को कार्यपरिषद द्वारा स्वीकार करते हुए इसे अन्तिम जॉच हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुरूप दिनांक 24.09.2022 को पूर्व में गठित अनुशासनिक समिति को संदर्भित कर दिया गया।

अनुशासनिक समिति द्वारा डॉ0 ममता शुक्ला की अन्तिम जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.11.2023 एवं 05.01.2024 को विश्वविद्यालय को सौंपी गयी, जिसको कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.01.2024 में स्वीकार करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। डॉ0 ममता शुक्ला द्वारा दिनांक 02.02.2024 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदन का लिफाफा माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.03.2024 में खोला गया। कार्यपरिषद द्वारा कुलसचिव को अभ्यावेदन की summary तैयार कर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। डॉ0 ममता शुक्ला के प्रकरण को कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 10.03.2024 में प्रस्तुत किया गया। कार्यपरिषद द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का अध्ययन् एवं गहन विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् विवेचना की गयीः–

4/–

"अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 ममता शुक्ला सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करती हैं।"

माननीय कार्यपरिषद के उपरोक्त विवेचना के क्रम में निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

"सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।"

कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में डॉ0 ममता शुक्ला, पूर्व सह आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को तत्काल प्रभाव से संविदा विखण्डित करते हुए सेवा से हटाया (removal from service) गया।

उक्त निर्णय पर डॉ0 ममता शुक्ला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में रिट ए याचिका संख्या–9606/2024 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पर निम्नवत् निर्देश पारित किये गये–

"... Admittedly, the reference filed by the petitioner under Section 68 of the State Universities Act, 1973 is pending for consideration before the respondent no. 1. A copy of the said reference is annexure 1 to the writ petition. Considering the aforesaid, the writ petition is disposed of with an expectation that the respondent no. I shall decide the said reference in accordance with law expeditiously say within a period of eight weeks from the date of receipt of a certified copy of this order. It is made clear that this Court has not gone into the merits of the case."

डॉ0 ममता शुक्ला द्वारा दिनांक 10.04.2024 को माननीय कुलाधिपति महोदया को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–68 में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रत्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रस्तरवार सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 02–07–2024 को अपनी आख्या राज्यपाल सचिवालय को प्रस्तुत की गयी। तद्पोरान्त डॉ0 ममता शुक्ला के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या–ई–9280/जी0एस0 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 निर्गत कर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया।

कुलसचिव द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा पारित आदेश संख्या–ई–9280/जी0एस0 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 में निम्नवत् निष्कर्ष को पढ़कर कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को सुनाया गया :–

".....14(क) ..... अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्था के आलोक में, कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10–03–2024 में लिया गया निर्णय, तत्सम्बन्धी आरोप–पत्र एवं तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 10–03–2024 निरस्त किया जाता है।

14(ख) उपर्युक्त के साथ ही, प्रत्यावेदक की नियुक्ति प्राधिकारी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जा रहा है कि कार्य परिषद द्वारा एक समिति का गठन कर उपर्युक्त विनियम, 2019 परिनियम/अनुबन्ध–पत्र की शर्तों व अन्य सुसंगत विनियमों/नियमों की व्यवस्था के आलोक में, प्रत्यावेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, उसकी अर्हता पर परीक्षणोपरान्त सुविचारित निर्णय

लेकर चार सप्ताह की अवधि में, सकारण आदेश द्वारा प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।"

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के आलोक में पूर्व में ही अनुशासनिक समिति का गठन कर उसकी आख्या को कार्य परिषद् में प्रस्तुत कर निर्णय लिया जा चुका है।

कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 12.12.2024 में पात्रता एवं मापदण्ड ए0आई0सी0टी0ई0 विनियम 2019 पर ही विशेष ज़ोर दिया गया है। अतः कार्य परिषद् द्वारा व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त कुलाधिपति महोदया के आदेश के अनुपालन में सर्वसम्मिति से निम्नवत् समिति के गठन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्रो0 जय प्रकाश सैनी, कुलपति : अध्यक्ष
   मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
2. प्रो0 शमशेर, कुलपति : सदस्य
   हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
3. प्रो0 एस0पी0 शुक्ल, निदेशक, : सदस्य
   राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा
4. प्रो0 रचना अस्थाना, निदेशक, : सदस्य
   डॉ0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन
   उ0प्र0, कानपुर
5. प्रो0 ललित कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष बायो कैमिकल इंजीनियरिंग : सदस्य
   हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर

उपर्युक्त गठित समिति के किसी सदस्य द्वारा जॉच में सहयोग करने में असहमति दिये जाने पर निम्नानुसार अंकित पूर्व कुलपतियों में से आवश्यक संख्या में समिति में रखकर जॉच कार्य पूर्ण किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. प्रो0 डी0एस0 चौहान, पूर्व कुलपति
   डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. प्रो0 पृथ्वीश नाग, पूर्व कुलपति
   महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3. प्रो0 बलराज चौहान, पूर्व कुलपति,
   डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

समिति सन्दर्भित प्रकरण का अभातशिप विनियम 2019 व अन्य सुसंगत विनियमों/नियमों की व्यवस्था के आलोक में, प्रत्यावेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, उसकी अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त परीक्षण आख्या एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त समिति को प्रपत्रों, अभिलेखों, पत्रावली आदि प्रस्तुत करने एवं समिति से समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग प्रदान किये जाने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त समिति के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु रू. 5000/– प्रति बैठक अध्यक्ष/सदस्य को दिये जाने, समिति के सहायतार्थ लिपिक को रू. 500/– प्रति बैठक भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही समिति के सदस्यों के आवागमन एवं बैठकों पर व्यय होने वाले अवस्थापन एवं अनुषांगिक व्ययों पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्त अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त व्ययों को आगामी वित्त समिति में संसूचित करें।

6/–

<u>बिन्दु संख्या–36.8 :</u>

डॉ0 तल्हीर फात्मा, सह आचार्य, गृह विज्ञान विभाग के विरूद्ध अनुशासनिक समिति द्वारा की जा रही जांच की अवधि एक माह बढ़ाये जाने पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 तल्हीर फात्मा, सह आचार्य, गृह विज्ञान विभाग के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति द्वारा की जा रही जांच की समयावधि एक माह बढ़ाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–36.9 :</u>

श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की अवधि एक माह बढ़ाये जाने पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद् द्वारा श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की समयावधि एक माह बढ़ाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अन्य बिन्दु</u>

<u>अन्य बिन्दु संख्या–36(1) :</u>

डॉ0 रज़ा अब्बास हैदरी, सहायक आचार्य, सी0एस0 एण्ड आई0टी0 विभाग द्वारा कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा 21.02.2020 में विभिन्न विभागों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन में विभिन्न विभागों हेतु तैयार किये गये रोस्टर के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गई थी। उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्तरिम आदेश पारित न किये जाने के कारण तत्कालीन कुलपति द्वारा वर्ष 2020 में रिक्त शैक्षिक पदों के सापेक्ष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी, तद्उपरान्त विभिन्न विभागों में रिक्त शैक्षिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी रोस्टर के सम्बन्ध में उक्त रिट याचिकायें विचाराधीन हैं, जिनमें कोई भी अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

कुलसचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 में नियुक्त नियमित शिक्षकों को वेतन वृद्धि इत्यादि समस्त लाभ भी दिये जा रहे हैं।

7/–

उपरोक्त पर कार्यपरिषद् द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020 में नियुक्त नियमित शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु सम्पूर्ण प्रकरण पर विधिक अभिमत लेने तथा वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण पर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए, जिसपर कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(डॉ0 महेश कुमार)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष